राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांकः प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006 — जयपुर,दिनांकः 20-09-2021

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषय :– टेलीफोन एवं समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का आदेश क्रमांक F.1(4)FD/GF&AR/ 2006 दिनांक 12.08.2021.

महोदय,

इस विभाग के संदर्भित आदेश के द्वारा टेलीफोन एवं समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गये है, जिनमें मुख्यतया निम्नानुसार है :–

1. संबंधित अधिकारियों को आदेश में उल्लिखित राशि का अग्रिम भुगतान मासिक रूप से दिया जायेगा।
2. अधिकारी द्वारा की गई स्वघोषणा के आधार पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समायोजन बिल बनाया जायेगा। संबंधित अधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार (माह अप्रैल एवं अक्टूबर) उक्त सुविधा पर किए गये व्यय राशि की स्वघोषणा अपने एम्पलॉई आई.डी. से की जावेगी। **इस हेतु अधिकारी को कार्यालय में अथवा सिस्टम पर किसी प्रकार के बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वघोषणा ही पर्याप्त होगी।**
3. ऑटोमेशन प्रक्रिया दिनांक 01.09.2021 से प्रारम्भ की गई है। अतः उक्त दिनांक के बाद के संबंधित अधिकारियों के निवास के टेलीफोन/मोबाईल/ब्रॉडबैण्ड सुविधा के बिलों का पुर्नभरण विभाग/कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा, लेकिन पूर्व के माहों के बकाया बिलों का पुर्नभरण किया जा सकेगा।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा स्वघोषणा (declaration) पे–मैनेजर पर एम्पलॉई लॉगिन से किया जाना है। सितम्बर माह में दिए गए अग्रिम की स्वघोषणा (declaration) 15 सितम्बर से की जा सकती है, क्योंकि अक्टूबर माह का अग्रिम सितम्बर माह की स्वघोषणा दिए जाने के बाद ही दिया जा सकेगा। अक्टूबर माह से मार्च माह तक छः माही हेतु अप्रैल 2022 में ही स्वघोषणा आवश्यक होगी।

अतः निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Usha letter

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
10. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
11. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) राजस्थान, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
15. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
16. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
17. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
18. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी।
19. समस्त कोषाधिकारी।
15. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR - 11 /2021)